कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTRAKHAND)

पत्रांकः— सा0 / सुरक्षा / 825 / 2023—24 / 1275 दिनांकः- 01/03/2023

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
सुरक्षा कर्मियों हेतु निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 2023—2024 हेतु विश्वविद्यालय [कुलपति आवास, प्रशासनिक भवन, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल, सर जे0सी0बोस तकनीकी परिसर भीमताल एवं महादेवी सृजन पीठ उमागढ़, रामगढ] में अनुमानित 50 से 60 सुरक्षाकर्मी एवं आवश्यक्तानुसार अन्य मैनपॉवर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत सुरक्षा एजेन्सियों / फर्मो से दिनांकः 16.03.2023, सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदायें दिनांकः 17.03.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता / नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें। निविदा प्रपत्र का मूल्य 2,000 / — होगा। निविदा के लिफाफे में ''सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर कर्मियों हेतु निविदा'' अंकित किया जाना होगा। निविदा प्रपत्र को विभागीय वैब साइट www.kunainital.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्रशासनिक भवन से कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

कुलसचिव

पत्रांकः— सा0 / सुरक्षा / 825 / 2023—24 / 1275 दिनांकः 01/03/2023

प्रतिलिपि—

1. सम्पादक, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अधिकतम 6cm X 4cm Column स्थान में अपने दैनिक समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में दिनांकः 02.03.2023 को प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में 10 प्रतिशत की छूट के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सूचना वैज्ञानिक, केन्द्रीय पुस्तकालय. प्रशासनिक भवन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. शुल्क पटल, लेखा अनुभाग, प्रशासनिक भवन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. वित्त नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. श्री के0के0पाण्डे, प्रभारी ई0आर0पी0 सैल, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा विज्ञप्ति को वि0वि0 के वैबसाइड में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कुलसचिव

Scanned By Camera Scanner

पत्रांकः– सा0 / सुरक्षा / 825 / 2023–24 / 1275 दिनांकः-01/03/2023

निविदा प्रपत्र 2023–2024
(सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर)

1. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि ....
2. कुल पृष्ठ संख्या ....
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य ....
4. संस्था का नाम एव पता ....

....

5. दिनांकः ....

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष, नाम एवं मुहर

नोट : (1) कृपया दरों को अंकित करने से पूर्व निविदा प्रपत्र में दिये गये नियमों / शर्तों का भलीं प्रकार अध्ययन कर लें।

(2) दरों को संलग्न निविदा प्रपत्रों में अंको व शब्दों दोनों में अंकित करें।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांकः— सा0 / सुरक्षा / 825 / 2023—24 / 1275 दिनांक :-01/03/2023

बिड नं0— 01

निविदा तकनीकी प्रपत्र (सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर कार्य हेतु) 2023

1. निविदा फॉर्म शुल्क जमा का विवरण —
2. निविदा प्रतिभूति (EMD) विवरण —
   1. धनराशि —
   2. ड्राफ्ट नं0 / एफ0डी0आर0 सं0 —
   3. दिनांकः —
   4. जारीकर्ता बैंक का नाम —
3. निविदादाता फर्म / एजेन्सी की स्थापना की तिथि व पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न) —
4. निविदादाता फर्म / एजेन्सी का पूरा नाम —
   (कार्यालय पता, दूरभाष नं0, फैक्स नं0, सम्पर्ककर्ता का नाम सहित)
5. निजी सुरक्षा ऐजेंसी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत लाइसेंस अधिनियमावली 2005—
6. पैन एवं टैन नम्बर (संलग्न छायाप्राते)—
7. उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत फर्म लाईसेन्स (छायाप्रति संलग्न) —
8. जी0 एस0 टी0 नम्बर (संलग्न छायाप्रति) —
9. ई0 पी0 एफ0 रजिस्ट्रेशन नम्बर (संलग्न छायाप्रति) —
10. ई0 एस0 आइ0 रजिस्ट्रेशन नम्बर (संलग्न छायाप्रति) —
11. किसी राजकीय / केन्द्रीय विभाग / संस्थान में काली सूची (Black listed) में नाम दर्ज नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र (संलग्न प्रति) —
12. निर्धारित शर्तो के प्रारूप की घोषणा पत्र हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है —
13. निविदादाता को **रू0 1.50 / — करोड़** का अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो छः माह से अधिक पूराना न हो।
14. विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। —
15. निविदादाता संस्था का विगत तीन वर्षो का कुल टर्नओवर **रू0 2.00 करोड़** होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टेड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. अनुभव प्रमाण—पत्र **(**विभिन्न राजकीय विभागों / संस्थाओं / अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में सुरक्षा कार्य व अन्य मैनपॉवर आपूर्ति करने का न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव, जिसमें न्यूनतम प्रतिवर्ष 60 कार्मिकों को लगाया हो तथा अन्य मैनपॉवर में प्रतिवर्ष 15 कार्मिकों को लगाया हो**)** का विवरण इस हेतु राजकीय कार्यालय / संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रमाण—पत्र न होने पर ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
   (अ) राजकीय कार्यालय / संस्थान का नाम...
   (ब) पूर्व वर्षों में किये गये कार्यो का विवरण ....
   (स) न्यूनतम 60 सुरक्षाकर्मी / 15 अन्य मैनपॉवर लगाये गये या उससे अधिक का विवरण.........................
   (द) अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न (हाँ या नहीं)..............................
17. संलग्न की उपरोक्त क्रमवार संख्या...
18. टेलीफोन नं0 .... मोबाइल न0 ....ई मेल............................

Scanned with OKEN Scanner

19. उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के समय–समय पर निर्गत शासनादेश द्वारा नियम में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी/नियमों/कानूनों का पालन सम्बन्धित निविदादाता द्वारा किया जाना होगा।
20. निविदा के साथ "निजी सुरक्षा व अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कार्मिक) एंजेंसी" के कारोबार में एजेन्सी के कारोबार में नियोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाइसेंस (जो वर्तमान में वैध हो) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदादाता को द्वि–निविदा (टू–बिड) प्रणाली के अन्तर्गत बिड संख्या – 01 (तकनीकी) तथा बिड संख्या– 02 (वित्तीय) निविदा प्रपत्र को अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। लिफाफों के बाहर बिड सं0 (तकनीकी/वित्तीय) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए व दोनों लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे के अन्दर मुहरबन्द कर जमा करना अनिवार्य होगा, लिफाफे के बाहर सुरक्षा हेतु निविदा 2023–24 लिखना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बिड में सफल निविदा ही वित्तीय बिड के लिए अर्ह होगी। इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

स्थानः–
दिनांकः–

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की मुहर

Scanned with OKEN Scanner

बिड नं0 – 02

निविदा वित्तीय प्रपत्र सुरक्षाकर्मी व अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु 2023

विश्वविद्यालय की निविदा संख्या .... दिनांक .... के क्रम में मैं/हमारी संस्था कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पर निम्न कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं एवं निम्नवत् दरें प्रस्तुत की जा रही हैं।

(क) सुरक्षाकर्मी–अनुमानित संख्या (सुरक्षागार्ड डंडा मैन– 50, सुरक्षागार्ड भूतपूर्व सैनिक– 07, सुरक्षा गार्ड बंदूकधारी– 02, सुपरवाईजर–02)

क्र0 सं0	सुरक्षाकर्मी/श्रमिकों अनुमानित विवरण	कर्मचारी का देय वेतन/मजदूरी रूपये में (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित)	ई0पी0एफ0 की धनराशि	ई0एस0आई0 की धनराशि रूपये में	सर्विस चार्ज यदि कोई हो तो	जी0एस0टी0/अन्य कर (उल्लेख करें) रूपये में	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सुरक्षा गार्ड (डंडा मैन) अकुशल						
2	सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक) कुशल						
3	सुरक्षा गार्ड बंदूक धारी (भूतपर्व सैनिक) कुशल						
4	सुपरवाईजर (भूतपूर्व सैनिक) कुशल						

(ख) अन्य मैनपॉवर– समय–समय पर आवश्यकतानुसार।

क्र0 सं0	मैनपॉवर/श्रमिकों का विवरण	कर्मचारी का देय वेतन/मजदूरी रूपये में (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित)	ई0पी0एफ0 की धनराशि	ई0एस0आई0 की धनराशि रूपये में	सर्विस चार्ज यदि कोई हो तो	जी0एस0टी0/अन्य कर (उल्लेख करें) रूपये में	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अकुशल						
2	अर्द्धकुशल						
3	कुशल						
4	उच्च कुशल						

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान (यथा सर्विस चार्जेज, जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, बीमा, बोनस, लेबर, रजिस्ट्रेशन, ई0एस0आई0, मैडिकल फैसिलिटी इत्यादि) पृथक से नहीं किया जायेगा। अतः दरें तद्नुसार ही अंकित करें। दरें श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी से कम मान्य नहीं होगीं।

एल0–1 का निर्धारण कुल योग (कालम स0 8) व कार्मिकों की आनुमानित संख्या के आधार पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक फर्मों की दरें समान होने पर लॉटरी के माध्यम से फर्म चयनित की जायेगी। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिकों को देय धनराशि में परिवर्तन किया जा सकता है व उसी आधार पर अन्य चार्ज (यथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0) नियमानुसार आगंणित होगें जो फर्म को मान्य होगें।

दिनांकः–

स्थानः–

अधिकृत के हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म/संस्था की मोहर

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु निविदा आवश्यक शर्तें, वर्ष 2023–24

1. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति की धनराशि **रू0 2.00 लाख** का एफ0डी0आर0 (F.D.R) वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बंधित करते हुए संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे बिड सं0–01 में ही संलग्न करें, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र को सावधानी पूर्वक भरा जायें, यदि कहीं भी कटिंग, ओवरराईटिंग/इरेजिंग एवं फ्लूड का प्रयोग कदापि न किया जाये। परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो काटकर अलग से स्पष्ट लिखे व अपने लघु हस्ताक्षर भी करें, अन्यथा निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी एजेंन्सी द्वारा अनुमन्य करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी जानकारी ली जा सकती है तथा न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, लेकिन एजेन्सी/फर्म, श्रम विभाग के द्वारा मजदूरी में वृद्धि किए जाने पर विश्वविद्यालय से अतिरिक्त मांग नहीं करेगी। उल्लेखनीय है, कि **उक्त शासनादेश के प्रस्तर 03 को अतिक्रमित करते हुए मजदूरी की दरों के संदर्भ में 1/26 के स्थान पर निविदा/भुगतान मासिक आधार पर सम्पन्न किया जाएगा। मजदूरी की दर पूर्ण माह के आधार पर रहेगी।**
4. उक्त निविदा एक वर्ष हेतु प्रदान की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उन्हीं दरों पर दोनों पक्षों की सहमति से निविदा को आगामी 01 **(एक)** वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. फर्मों द्वारा दरें (समस्त करों, जी0एस0टी0 सहित) मासिक आधार पर अंकित की जाएं तद्नुसार ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
6. कार्यदायी फर्मों द्वारा प्रदत्त सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सेवा में कमी पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सेवा/अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा एवं साथ ही धरोहर राशि (ई0एम0डी0) जब्त करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय अधिकृत अधिकारी/सदस्यों द्वारा मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) सुरक्षा संबंधी सेवाओं अथवा मैन पॉवर, सुरक्षाकर्मियों की समय–समय पर निरीक्षण करते हुए निगरानी (Monitering) की जाएगी। मैनपॉवर एवं सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थिति में उस दिवस के पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी। सेवाएं संतोषजनक न होने की दशा में सम्बन्धित माह में बिल से दण्ड के रूप में 5% से 10% तक कटौती की जायेगी।
8. सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) एवं रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मी शारीरिक रूप से हृष्ट–पुष्ट हों। सुरक्षाकर्मियों की संख्या अनुमानित दी गयी है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

9. जो कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनका कोई अपराधिक इतिहास न हो। यह सुनिश्चित करना फर्म का दायित्व होगा। सुपरवाइजर द्वारा प्रतिदिन ड्यूटी चैक कर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय में नामित अधिकारी को दी जाएगी नहीं करने पर पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।

10. **उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी/मैनपॉवर/सुपरवाईजर का पूर्ण विवरण पुलिस सत्यापन के साथ सेवायें प्रारम्भ करने के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।**

11. सेवा प्रदाता फर्म (सफल निविदादाता/फर्म) को अनुबंध/आपसी सहमति के समय वार्षिक सेवा शुल्क/सेवा लागत/विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले कुल भुगतान का अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित 10 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0 (F.D.R) के माध्यम से वित्त अधिकारी के पदनाम से एक माह के भीतर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

12. सेवा की मासिक शुल्क/मासिक लागत के भुगतान के देयक से नियमानुसार आयकर कटौती एवं जी0एस0टी0 कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

13. उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पारिश्रमिक सम्बन्धित फर्म द्वारा सीधे कार्मिकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई की धनराशि उनके ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 खाते में निर्धारित समय पर जमा करनी होगी, जिसकी विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को अगले माह के बिल के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। तभी बिल पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म द्वारा कार्मिकों को उनके मासिक E.P.F, E.S.I जमा की सूचना व मासिक वेतन स्लिप भी देनी आवश्यक हागी।

14. संस्था अपने कर्मियों को एक परिचय पत्र जारी करेगी, जिसे सम्बन्धित कार्मिक द्वारा ड्यूटी पर धारण करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी/मैनपॉवर की सूची मय फोटो विश्वविद्यालय को कार्यालय निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करना होगा।

15. यदि फर्म द्वारा विश्वविद्यालय से किया गया अनुबन्ध समय से पूर्व समाप्त किया जाना हो तो इसकी सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में देनी होगी। फर्म द्वारा समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

16. संस्था द्वारा अनुबन्ध की मासिक धनराशि का देयक माह समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत करना होगा।

17. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय सक्षम अधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

18. निविदादाता/फर्मो का पंजीकरण उसी के नाम से आयकर विभाग एवं वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

19. समस्त कार्मिक विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्य करेंगे।

20. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निविदा को निरस्त करने का अधिकार रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

21. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोलने पर विचार किया जायेगा।
22. किसी भी बात के लिए क्षेत्राधिकार स्थानीय न्यायालय नैनीताल के अर्न्तगत रहेगा।
23. फर्म हेतु अनुभवी सुरक्षाकर्मियों को ही नियुक्त करेगा एवं विश्वविद्यालय/परिसर का युक्तियुक्त तरीके से रखरखाव करेगा। नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय/परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे। यदि किसी सुरक्षाकर्मी द्वारा गरिमा/गोपनीयता के विरूद्ध कार्य किया जाता है तो सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाना होगा तथा ऐसे सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की जायेगी एवं संम्बन्धित फर्म को भी जवाब देह बनाया जायेगा।
24. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले के सुरक्षाकर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्त होने के 07 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें।
25. कार्य स्थल पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मियों के साथ ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
26. सफल निविदादाता फर्म को विश्वविद्यालय में कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के नाम व पते का विस्तृत विवरण पहचान हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
27. नियोजित सुरक्षाकर्मियों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
28. विश्वविद्यालय सम्पत्ति को फर्म द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मी द्वारा किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
29. सुरक्षाकर्मी/सुरक्षाकर्मियों के कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य सुरक्षाकर्मी को फर्म द्वारा नियोजित किया जायेगा, फर्म द्वारा ऐसा न करने पर सुरक्षाकर्मी/सुरक्षाकर्मियों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जायेगा, तथा फर्म पर शास्ति (penalty) स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10 % की कटौती की जा सकेगी।
30. फर्म द्वारा नियोजित किये गये सुरक्षाकर्मियों के सम्बन्ध में केंन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का उत्तरदायित्व होगा। फर्म को सम्बन्धित कानून की जानकारी ना होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
31. विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मादक पदार्थ रहित क्षेत्र है। फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय /परिसर में किसी प्रकार के धूम्रमान, मादक पदार्थ का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।
32. विश्वविद्यालय के द्वारा निविदाएं उत्तराण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अर्न्तगत आमंत्रित की जा रही हैं। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होंगे।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा

मैं/हम .... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली गई है, निविदा में दी गई समस्त शर्तें मुझे मान्य है तथा मेरे द्वारा निविदा लिफाफे में बन्द कर एवं मुहरबन्द कर जमा किया जा रहा है तथा समस्त विवरण सही–सही भर दिये गये हैं।

मोबाईल न0 – ....

टेलीफोन न0 – ....

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की मुहर

घोषणा

मैं/हम .... घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे अथवा मेरी संस्था को वर्तमान और विगत में कभी भी किसी राजकीय/केंद्रीय विभाग/संस्थान/कार्यालय के द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

मोबाईल न0 – ....

टेलीफोन न0 – ....

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की मुहर

Scanned with OKEN Scanner